न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 16 / 2017

1. अजन्ता पत्नि गोगाराम उम्र बालिग जाति जाट निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. रामकन्या पुत्री गोवर्धन उम्र बालिग जाति जाट निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र उम्र बालिग जाति जाट निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. उगमी पत्नि हगामा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. रामरतन पुत्र हगामा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. शिवराज पुत्र समरथा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बड़गांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव, भू. अभिलेख निरीक्षक कनेईकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत 2070--73 खाता सं. 132 में दर्ज खसरा न. 928 रकबा 0.37 हैं0 भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 की संयुक्त आराजी हैं जिसमे वादी का 1 / 9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1 / 8, प्रतिवादी सं. 2 का 1 / 9, प्रतिवादी सं 3 लगायत 4 का 1 / 18 व प्रतिवादी सं. 5 का 1 / 18 हिस्सा निहित हैं। वादिया एवं प्रतिवादीगण वादवर्णित आराजीयात के सहस्वामी होकर अपने-अपने हिस्से अनुसार निरन्तर एवं निर्बाध रूप से लगातार काबिज एवं काश्त करते चले आ रहें हैं। इसमें किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। वादीया उक्त संयुक्त आराजीयात का विभाजन करवाना चाहती है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्कता हुई है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी गण का विधिवत विभाजन कर अलग-अलग खाते कायम करें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने नोटिस प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित होकर वादपत्र की पुष्टि करते हुए उभयपक्षान के मध्य बंटवारा किए जाने बाबत सहमति प्रस्तुत की। अन्य पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होने पर दिनांक 24.11.17 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब

सरकार नियत की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालतःन्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत शिविर बडगांव में पेश हुई। वादिया उपस्थित । वादिया अधिवक्ता उपस्थित। पैरोंकार सरकार उपस्थित। वादिया एवं वादिया अधिवक्ता ने बैंच सदस्यों के समक्ष वाद पत्र स्वीकार किए जाने बाबत अनुरोध किया। पैरोकार सरकार ने जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायसंगत ठहराते हुए वादिया के हक हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित बताया। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजात का अवलोकन किया गया एवं मजमें आम में रायशुमारी भी की गई तो वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की पुष्टि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आनुतोष योग्य होंने से स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के मध्य ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव, भू. अभिलेख निरीक्षक कनेईकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत 2070–73 खाता सं. 132 में दर्ज खसरा नं. 928 रकबा 0.37 हैं0 भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिक्री कायम की जाती है। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 08.05.2018 को लोक अदालत शिविर में सुनाया गया।

सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	अध्यक्ष लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय

प्रारंभिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

अजन्ता बनाम रामकन्या वगैरह पूर्ण उनवान पुस्त पर दर्ज हैं

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए, 209 रा.का.अधि.

मुकदमा नं. 16/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू राजेन्द्र सिंह शेखावत(आर.ए.एस.) व हाजरी श्री धर्मवीर बामनिया व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू.................................. मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारंभिक डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार भिनाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के मध्य ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव, भू. अभिलेख निरीक्षक कनेईकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत 2070--73 खाता सं. 132 में दर्ज खसरा नं. 928 रकबा 0.37 हैं0 भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर पृथक--पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिक्री कायम की जाती है। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

निजी.................X.........................मबलिक.................. X ....बाबत्................... X ....
....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक................... X .... को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत..........................
ओहदा.............................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमी नर	—	—
फीस कमी नर	—	—	बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 16/2017

1. अजन्ता पत्नि गोगाराम उम्र बालिग जाति जाट निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. रामकन्या पुत्री गोवर्धन उम्र बालिग जाति जाट निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. गोपाल पुत्र रामचन्द्र उम्र बालिग जाति जाट निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. उगमी पत्नि हगामा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. रामरतन पुत्र हगामा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. शिवराज पुत्र समरथा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बडगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड भिनाय

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास भावना गर्ग (आर.ए.एस)

अजन्ता बनाम रामकन्या वगै0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए, 209 रा.का.अधि.

मुकदमा नं. 16/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू भावना गर्ग (आर.ए.एस.) व धर्मवीर बामनिया व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू................................ मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार भिनाय को आदेश दिये जाते है कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी..................x........................मबलिक.................. x ....बाबत्.................. x .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.................. x .... को अदा करें।

वसूलियाव तक .... x ....को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.03.2019 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत.........................

ओहदा............................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	--	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमी नर	—	—
फीस कमी नर	—	—	बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

बंटवारा प्रस्ताव देखें गये उभय पक्षान को कोई आपत्ति नहीं अतः प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं तथा कुल लगान रू. 4.07 का 15 गुणा रू. 61.05/— पर वाद पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार पारित की जाती हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान रू.
1	अजन्ता पत्नि गोगाराम कौम जाट	3452/928	0.04	नहरी—1	
	कुल किता—1		**0.04**		**0.45**
2	रामकन्या पुत्री गावर्धन, गोपाल पि. रामचन्द्र, रामरतन पुत्र हगामा, शिवराज पुत्र समरथा कौम जाट	**928**	0.33	नहरी—1	
	कुल किता—4		**0.33**		**3.62**

तहसीलदार भिनाय यथा डिक्री अमल दरामद करावें।

(भावना गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)